कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES (2 रु.) (Rs.2)

31

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क /2015 निगरानी निगरानी 821-I-15

मूलचंद पुत्र गिरवर सिह जाति गुर्जर आयु 66 साल निवासी वार्ड न0 1 मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

.... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. कन्हैयालाल पुत्र गोधन सिंह जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 15 मुगांवली जिला अशोकनगर म.प्र.

2. धर्मजीत सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 1 मुगावली जिलाप अशोकनगर म.प्र.

...........असलअनावेदकगण

3. सोरन सिंह पुत्र गिरवर सिंह जाति गुर्जर

4. हरनाम सिंह पुत्र गिरवर सिंह जाति गुर्जर

5. बाबूलाल पुत्र देवसिंह मृत वारसान–

अ–सुदामाबाई पुत्री बाबूलाल पत्नी देशराज सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्रम खिरियाखेड़ा तहसील सिरोज जिला विदिशा म.प्र. ।

ब–शिवराज पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर निवी डिपो हनुमानजी मंदिर के पास मुगावली

स–मीराबाई पुत्री बाबूलाल पत्नी शिशुपाल जाति गुर्जर निवासी ग्रम अचलगढ परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म.प्र. ।

द– महेश पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी वार्ड न1 मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.

6. चतरोबाई पुत्री देवसिंह पत्नी गोधन सिह मृत वारसान –

अ–द्रोपतीबाई पुत्री गोंधन सिंह पत्नी राजाराम निवासी वार्ड न 14 मुगांवली

ब–चिरोजीबाई पुत्री गोंधन सिंह पत्नी रंजित निवासी ग्रम अमोदा तहसील मुगावली जिला अशोकनगर मप्र.

सुनील सिंह जादोन द्वारा आज दि. 16/4/15 को प्रस्तुत

16-4-15 रीडर ऑफ राजस्व मण्डल म.प्र.

सुनील सिंह जादौन 16/4/15

स--लाडोबाई पुत्री गोधन पत्नि बलराम निवासी ग्राम पिपरोद तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

7. कपूरीबाई बेवा पत्नी कल्याण सिंह मृत वारसान --
अ--गीताबाई पुत्री कल्याण सिह पत्नी सिरनाम निवासी पिपरोदा तहसील मुगावली जिला अशोकनगर
ब--गिरजा वाई पुत्री कल्याण सिंह पत्नी हाकमसिंह निवासी डिपो हनुमान जी के मंदिर के पास मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.
स--गोपाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी वार्ड न 1 मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.
द--मेहरवान सिंह पुत्र कल्याण सिंह

8. भैरो सिह पुत्र रामप्रसाद निवासी वार्ड न 1 मुगावली जिलाअशोकनगरम.प्र.।

9. मोहरवाई बेवा पत्नी कन्हेदी लाल मृत वारसान --
अ--गुडडी वाई पुत्री कन्हेदीलाल पत्नी मोहरसिंह निवासी वार्ड न. 15 मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र.
ब--सुनीताबाई पुत्री कन्छेदीलाल पत्नी बैजनाथ निवासी ग्राम मलउखेडी पो0 ओडेर
स--हल्कीवाई पुत्री कन्छेदीलाल पत्नी सियाराम निवासी ग्राम अमोदा तहसील मुगावली जिला अशोकनगर ।

~~10. म.प्र. शासन द्वारा ग्राम पटवारी~~

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व सहिता , 1959 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी परगना मुगावली जिला अशोनगर के प्र0क0 39/अपील /12--13 में पारित आदेश दिनांक 23.2.2015 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :--

प्रकरण के तथ्य --:

1. यहकि, उक्त प्रकरण मे अनावेदक क 1 लगायत 2 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय द्वारा पारित उक्त सहमति बटबारा नामांतरण पंजी क 146 पर प्रविष्ट दिनांक 14.01.2005 को प्रमाणित कराई गई हैं उक्त सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 14.1.2005 के विरूद्ध अनावेदक क 1 व 2 द्वारा सयुक्त रूप से

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 821–एक/15 जिला –अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.9.16	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के प्रकरण कमांक 39/अपील/12–13 में पारित अंरिम आदेश दिनांक 23.2.15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन एवं अनावेदक कमाांक असल 1, 2 की और से श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित होकर तर्क किये। अनावेदक कमांक 3 लगायत 9 फार्मल पक्षकार हैं। निगरानी मेमो में वर्णित आधारों एवं अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के प्रकरण कमांक 39/अपील/12–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.2.15 का अवलोकन किया गया। 3– उभयपक्ष के अधवक्तागणों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उभयपक्ष के सामिलाती खाते पर कस्वा रेंज मुंगावली में कृषि भूमि है जिसका अंकन बटवारा आदेश दिनांक 14.1.05 से पक्षकारों की सहमति के आधार पर	

किया है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकरी के समक्ष दिनांक 30.10.12 को 9 माह 15 दिवस के विलंब से प्रस्तुत की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन सुनवाई के लिंये पेशी नियत की गई है।

4-आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक 1, 2 द्वारा तहसील न्यायालय में सहमति बटवारा नामांतरण पंजी कमांक 146 पर पृविष्टि दिनांक 14.1.05 को प्रमाणित कराई गई है। उक्त सहमति बटवारा के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के न्यायालय में अपील की है जो उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। क्यों कि अनावेदक 1, 2 उक्त भूमि में कोई हित नहीं रखते हैं। अतः निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5- अनावेदक 1, 2 अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव का अपने तर्क में कहा है कि अनावेदकगण द्वारा बटवारे करने की कोई सहमति नहीं दी है। अतः उनके द्वारा कहा गया है कि अभी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में धारा-5 के आवेदन पर तर्क होकर उस पर आदेश होना है प्रकरण को पेन्डिग करने की नियत से यह निगरानी यह प्रस्तुत कर दी गई । उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि पहले धारा-5 के आवेदन पर निर्णय होने के बाद प्रकरण मैरिट पर होगा । उनके द्वारा

-5

निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6– उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में एवं अभिलेख के अवलोकन करने पर मैं पाता हूँ कि अभी प्रकरण में धारा–7 में अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया है उनके यहां धारा–5 पर निर्णय होना है। अतः उभयपक्ष को अभी वहां पर अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर है। इसलिये प्रकरण यहां चलाने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को वापस की जावे।

सदस्य